सं. 57/02/2021-पी&पीडब्ल्यू(बी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003, दिनांक: 04.06.2024

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का.ज्ञा. के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना- के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को व्यय विभाग के दिनांक 02.07.2019 के का.ज्ञा.सं.1(24)/ईवी/2016 द्वारा जारी अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, दिनांक 21.02.2024 और 17.05.2024 को हुई बैठक का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) अंशदानों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने और उस राशि का नियमित रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में जमा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एनपीएस निरीक्षण तंत्र स्थापित करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे।

2. उपरोक्त अनुदेशों में यह भी निदेश दिया गया कि उपरोक्त निरीक्षण तंत्र के माध्यम से की गई निगरानी के परिणाम की जानकारी देते हुए एक स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक छमाही पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भेजी जाए। तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 07.06.2021 के अ.शा.पत्र द्वारा छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक प्रोफार्मा भी परिचालित किया गया था।

3. समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसकी उचित निगरानी के लिए, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने **https://pensionersportal.gov.in/NPS** नामक एक पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल अब प्रयोग के लिए तैयार है।

4. मंत्रालयों/विभागों को पोर्टल हैंडल करने वाले नोडल अधिकारियों के ब्यौरे जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पदनाम प्रस्तुत करने होंगे ताकि उन्हें लॉगइन क्रेडेंशियल भेजे जा सकें। साथ ही, यह सूचित किया जाता है कि नोडल अधिकारी के स्थानांतरण/सेवानिवृत्त होने की दशा में, नए नोडल अधिकारी के ब्यौरे विभाग को यथाशीघ्र भेजे जाएं ताकि अपेक्षित अद्यतन किया जा सके।

5. पोर्टल को हैंडल करने के लिए एक उपयोगकर्ता पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें पोर्टल में लॉगइन करने और उसके बाद रिपोर्ट अपलोड करने का तरीका स्पष्ट किया गया है। अतः, उपयोगकर्ता पुस्तिका भी संलग्न है।

6. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि अपनी अक्टूबर, 2023 से मार्च, 2024 एवं आगे की छमाही रिपोर्टें उक्त पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

संलग्नक: यथोक्त

वित्तीय सलाहकार
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग